

२२२० पत्रावली पेशा हुई एक-एक कर तीन
बार आज्ञा किलारी गई न तो पसकाराम
उपस्थित होकर न ही अभिभावक उपस्थित
ऐसी स्थिति में न्यायालय इस प्रकरण
को आगे नैरकार रखना उचित नहीं समझता
है।

अतः पत्रावली अदम लजरी अदम पेशी में
खारिज की जाती है पत्रावली कैसल शुमार
होकर अम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज्ञा दिनांक 16-12-2020 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

उप सचिव अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज०)

